



CBI के नयिमति अन्वेषण के वरिद्ध सर्वोच्च न्यायालय की चेतावनी

प्रारंभिक परीक्षा के लिये:

[उच्च न्यायालय \(HC\)](#), [सर्वोच्च न्यायालय](#), [केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो \(CBI\)](#), [दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना \(DSPE\) अधिनियम](#), भ्रष्टाचार नविवरण पर संथानम समति, [भ्रष्टाचार नविवरण अधिनियम](#)

मुख्य परीक्षा के लिये:

CBI से संबंथति मुद्दे और सफिराशिन, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वभिजन से संबंथति मुद्दे और राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग

[स्रोत: हदुस्तान टाइम्स](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने राज्य पुलिस के अंतरगत चल रही जाँच को [CBI](#) को हस्तांतरित करने के लिये पर्याप्त तरक न देने हेतु कलकत्ता उच्च न्यायालय की आलोचना की है तथा इस बात पर बल दया है कि ऐसे नरिणय [नयिमति न होकर](#) वशिषिट, बाध्यकारी कारणों पर आधारित होने चाहिये।

राज्य में CBI के उपयोग के संबंथ में क्या नयिम हैं?

- **पृष्ठभूमि:** हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने [गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन \(GTA\) क्षेत्र](#) से संबंथति भर्ती में कथति अनयिमतिताओं के संदर्भ में [CBI](#) जाँच के आदेश दये, जसि पश्चमि बंगाल सरकार ने चुनौती दी थी।
 - **सर्वोच्च न्यायालय का आदेश:** सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ कारणों के आधार पर इस मामले के संदर्भ में CBI जाँच से संबंथति कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दया।
 - **असाधारण परसिथतियाँ:** CBI जाँच का आदेश केवल असाधारण परसिथतियों में ही दया जाना चाहिये, जहाँ स्पष्ट साक्ष्य हों कि राज्य पुलिस नषिपक्ष जाँच नहीं कर सकती है।
 - **न्यायकि संयम:** न्यायालय ने न्यायकि संयम के महत्त्व को रेखांकित करते हुए कहा कि उच्च न्यायालयों को CBI को जाँच हस्तांतरित करने के लिये स्पष्ट कारण बताने चाहिये।
- **CBI के उपयोग के संबंथ में संबंथति नरिणय:**
 - **CBI [2017] 2017, 1997:** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मामले CBI को तभी सौंपे जाने चाहिये जब स्थानीय पुलिस की जाँच असंतोषजनक हो।
 - इसके अलावा आरोपी यह नरिणय नहीं ले सकता कि एजेंसी मामले की जाँच करेगी या नहीं।
 - **[2017] 2017, 1997:** सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार और CBI की जवाबदेही पर फैसला सुनाया। इसे जैन हवाला कांड मामला भी कहा जाता है।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा जारी वर्ष 1969 के "सगिल डायरेक्टिव" को अमान्य कर दया, जसिमें CBI द्वारा मामला शुरू करने और दर्ज करने की प्रक्रिया का उल्लेख कया गया था।
 - न्यायालय के फैसले से जाँच एजेंसियों की स्वतंत्रता मज़बूत हुई तथा सुनश्चिति हुआ कि वे राजनीतिक हस्तक्षेप के बनिा कार्य कर सकें इसके साथ ही उच्च-स्तरीय भ्रष्टाचार मामलों से नपिटने में जवाबदेही और पारदर्शति के लिये दशानरिदेश दये गए।
 - **CBI [2017] 2017, 2023:** सर्वोच्च न्यायालय ने घोषति कया कि [DSPE अधिनियम की धारा 6A](#), वर्ष 2003 में शामिल कये जाने की तारीख से असंवैधानिक और शून्य है।
 - यह नरिणय कसिी वधिको असंवैधानिक घोषति करने के पूर्वव्यापी प्रभाव से संबंथति है।
 - **CPIO CBI [2017] 2017, 2024:** दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि [CBI को सूचना का अधिकार \(RTI\) अधिनियम](#) की धारा 24 से पूरी तरह छूट प्राप्त नहीं है।
 - न्यायालय ने कहा कि CBI को "संवेदनशील जाँच" को छोड़कर भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन से संबंथति जानकारी के बारे में बताना होगा।

भारत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कसि प्रकार कार्य करता है?

परिचय:

- CBI की स्थापना गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा की गई थी और बाद में इसे कार्मिक, लोक शकियायत और पेंशन मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया, जो वर्तमान में एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है।
- इसकी स्थापना की सफारिश **भ्रष्टाचार निवारण पर गठित संथानम समिति** ने की थी।
- CBI, **दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946** के तहत कार्य करता है।
 - यह न तो संवैधानिक और न ही वैधानिक निकाय है।
- यह रशिवतखोरी, सरकारी भ्रष्टाचार, केंद्रीय कानूनों के उल्लंघन, बहु-राज्य संगठित अपराध और बहु-एजेंसी या अंतरराष्ट्रीय मामलों से संबंधित मामलों की जांच करता है।
- CBI के नदिशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा तीन सदस्यीय समिति की सफारिशों पर की जाती है जिसमें **प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)**, लोकसभा में वपिक्ष के नेता और **भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)** या CJI द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होते हैं।

CBI की कार्यप्रणाली:

- **पूरव अनुमति का प्रावधान:** CBI को केंद्र सरकार और उसके अधिकारियों में संयुक्त सचिव एवं उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों द्वारा कथि गए कसि अपराध का परीक्षण या जांच करने से पहले केंद्र सरकार की पूरव स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
 - हालाँकि वर्ष 2014 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से इस आवश्यकता को अवैध घोषित कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि **DSPE अधिनियम की धारा 6A** (जो इन अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामलों में प्रारंभिक जांच से बचाती है) **अनुच्छेद 14** का उल्लंघन है।
- **सहमति सिद्धांत:** CBI के लयि राज्य सरकार की सहमति विशिष्ट या "सामान्य" मामले में हो सकती है।
 - जब कोई राज्य, संबंधित अधिनियम की धारा 6 के तहत सामान्य सहमति प्रदान करता है तो CBI को राज्य में जांच के क्रम में हर बार नई मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होती है।
 - हालाँकि यदि सामान्य सहमति रद्द कर दी जाती है तो CBI को प्रत्येक जांच के लयि संबंधित राज्य सरकार से विशिष्ट सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
 - विशिष्ट सहमति के बिना CBI अधिकारियों को उस राज्य में कार्य करते समय पुलिस कर्मियों के समान शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

Q. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) हाल के दिनों में विश्वसनीयता और विश्वास के संकट का सामना क्यों कर रहा है? इस संकट के कारणों एवं परिणामों का विश्लेषण करते हुए CBI के प्रति लोगों के विश्वास और प्रतिष्ठा को बढ़ाने हेतु उपाय बताइये।

और पढ़ें: [केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो](#)

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2021)

1. भारत के राष्ट्रपति की पूरवानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूरतदिवारा उच्चतम न्यायालय से सेवानवित्त कसि न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है।
2. भारत में कसि भी उच्च न्यायालय को अपने नरिणय के पुनर्वलिकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

प्रश्न: नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2019)

1. भारत के संवधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के नरिवाचन को न्यायिक पुनर्वलिकन के परे कर दिया।

2. भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (b)

?????

प्रश्न. एक राज्य-वर्ष के अंदर प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने तथा जांच करने के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी. बी. आई.) के क्षेत्राधिकार पर कई राज्य प्रश्न उठा रहे हैं। हालाँकि सी. बी. आई. जांच के लिये राज्यों द्वारा दी गई सहमतियों को रोकने की शक्ति आत्यंतिक नहीं है। भारत के संघीय ढाँचे के विशेष संदर्भ में विवेचना कीजिये। (2021)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/sc-warns-against-routine-cbi-probe>

